



2026:AHC-LKO:21797

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 भा.ना.सु.सं. - सं. 808/2026

राम नयन यादव

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

 प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : अखिल कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप यादव

 विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र विद्वान् विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु/जन. अ.(नि.) अधिनियम, अयोध्या के समक्ष विशेष सत्र परीक्षण संख्या 196/2025 में दिनांक 29/10/2025 को दायर किया गया आक्षेपित आरोप पत्र को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। यह मामला थाना- कोतवाली बीकापुर, जिला- अयोध्या में "राज्य बनाम राम नारायण यादव" के नाम से लंबित है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0295/2025 अंतर्गत धारा, 115(2), 352, 351(3) भा.न्या.सं. 2023 और अनु.जा. एवं अनु.जन.जा.(अ.)नि. अधिनियम की धारा 3(1)(च), 3(1)(ध) के तहत दर्ज है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध परिलक्षित नहीं होता है, और यह वर्तमान अभियोजन परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से संस्थित किया गया है।
4. इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने यह निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया प्रार्थी के विरुद्ध अपराध बनता है। प्रार्थी की निर्दोषता का निर्णय परीक्षण-पूर्व चरण पर नहीं किया जा सकता। अतः, प्रार्थी किसी भी प्रकार की राहत का अधिकारी नहीं है।
5. अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गौर करने के बाद, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध बनता है।
6. अवर न्यायालय से समन जारी करने की प्रक्रिया के चरण में यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभिलेख पर रखे गए तथ्यों की विस्तार से जांच और मूल्यांकन करे; उसे केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लिए भी दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिनमें उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है और उसे रद्द कर सकता है। ये मामले निम्नलिखित हैं:- (i) आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, (ii) हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 एस.सी.सी. (क्रि.)426, (iii) बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एस.सी.सी.(क्रि.)192 और (iv) जंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक और अन्य, (प्रस्तर-10) 2005 एस.सी.सी. (क्रि.)283।
7. ऊपर बताए गए फैसलों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने शुरुआती दौर में ही मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने के संबंध में कानूनी स्थिति साफ़ कर दी है। न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या लगाए गए आरोप, जिन पर कोई विवाद नहीं है, पहली नज़र में ही अपराध साबित करते हैं; क्या दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है; और क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई फ़ायदा होने वाला है। **एस.डब्ल्यू. पलंकटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य, 2002 (44) ए.सी.सी. 168** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने यह फैसला दिया है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना एक अपवाद है, न कि कोई आम नियम। दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ ही तीन ऐसी स्थितियाँ बताती हैं, जिनमें इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है: (i) इस संहिता के तहत दिए गए किसी आदेश को लागू करने के लिए; (ii) न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए; (iii) या किसी अन्य तरीके से न्याय सुनिश्चित करने के लिए। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि वास्तविक और ठोस न्याय हो सके, जिसके लिए ही न्यायालय का अस्तित्व है।

8. उच्च न्यायालय किसी भी तरह की जाँच शुरू नहीं करेगा, क्योंकि यह काम विचारण न्यायाधीश/न्यायालय का है। इस मामले में आरोप पत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के शुरुआती चरण में दखल देना कोई असाधारण बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे पहली नज़र में ही किसी अपराध का होना परिलक्षित होता है। नतीजतन, आरोप पत्र रद्द करने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रार्थी के पास उचित चरण पर अपनी सभी आपत्तियाँ उठाने का पूरा अवसर है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य : (2021) 10 एस.सी.सी. 773 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"3. हम इन दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और अवर न्यायालयों के लाभ के लिए इन्हें न्यायालय के आदेश का हिस्सा बनाने के इच्छुक हैं। ये दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:"

अपराधों की श्रेणियाँ/प्रकार

क) ऐसे अपराध जिनके लिए 7 साल या उससे कम की कैद की सज़ा है, और जो श्रेणी ख और घ में नहीं आते हैं।

ख) ऐसे अपराध जिनके लिए मौत की सज़ा, आजीवन कारावास, या 7 साल से ज्यादा की कैद की सज़ा है।

ग) ऐसे अपराध जो विशेष कानूनों के तहत दंडनीय हैं, जिनमें ज़मानत के लिए सख्त प्रावधान हैं, जैसे स्व.ओ.मं.प्र.प.अधि. (धारा 37), ध.शो.नि.अधि.



(धारा 45), गै.ग.(रो.)अधिनियम (धारा 43 घ (5)), कंपनी अधिनियम (धारा 212(6)), आदि।

घ) आर्थिक अपराध जो विशेष कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं। आवश्यक शर्तें

1) जाँच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया।

2) पूरी विवेचना में सहयोग किया, जिसमें जब भी बुलाया गया, जांच अधिकारी के सामने पेश होना भी शामिल है।

(ऐसे आरोपी को आरोप पत्र के साथ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है (सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 615)

श्रेणी क

आरोप-पत्र/परिवाद दाखिल होने के पश्चात् संज्ञान लिया जाना

क) पहली बार में साधारण समन जारी किया जाएगा (जिसमें अधिवक्ता के माध्यम से पेश होने की अनुमति भी शामिल है)।

ख) यदि समन मिलने के बावजूद अभियुक्त पेश नहीं होता है, तो उसकी व्यक्तिगत पेशी के लिए ज़मानती वारंट जारी किया जा सकता है।

ग) यदि ज़मानती वारंट जारी होने के बाद भी अभियुक्त पेश नहीं होता है, तो गैर-ज़मानती वारंट जारी किया जाएगा।

घ) यदि गैर-ज़मानती वारंट के तामील होने से पहले ही अभियुक्त की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसमें अभियुक्त यह वचन देता है कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होगा, तो गैर जमानती वारंट को रद्द किया जा सकता है या उसे ज़मानती वारंट/समन में बदला जा सकता है; ऐसा करते समय अभियुक्त की व्यक्तिगत पेशी पर जोर देना ज़रूरी नहीं है।

ङ) ऐसे अभियुक्तों के पेश होने पर उसे पुलिस हिरासत में बिना लिए भी उसके ज़मानत के प्रार्थना पत्रों पर फैसला किया जा सकता है; या फिर, जब तक ज़मानत के प्रार्थना पत्रों पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उसे अंतरिम ज़मानत दी जा सकती है।

श्रेणी ख/घ

जारी प्रक्रिया के अनुपालन में अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर, ज़मानत प्रार्थना पत्र का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



श्रेणी ग

श्रेणी ख और घ के समान, जिसमें स्व.ओ.म.प्र.प.अधिनियम की धारा 37, ध.शो.नि.अधिनियम की धारा 45, कंपनी अधिनियम की धारा 212(6), गै.ग.(रो.) अधिनियम की धारा 43 घ (5), लैं.अ.बा.सं.अधि. आदि के तहत जमानत संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की अतिरिक्त शर्त शामिल है।

4. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि श्रेणी क में पुलिस मामले और शिकायत मामले, दोनों शामिल हैं।

5. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, जमानत के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते समय ऊपर बताए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगे। विद्वान अ०म०न्याय० ने जो शर्त रखी है, वह यह है कि जहाँ अभियुक्त ने जाँच में सहयोग नहीं किया है, न ही जाँच अधिकारियों के सामने पेश हुआ है, और न ही समन का जवाब दिया है; और जहाँ न्यायालय को लगता है कि परीक्षण पूरा करने के लिए अभियुक्त की न्यायिक हिरासत ज़रूरी है; और जहाँ आगे की जाँच, जिसमें किसी चीज़ की बरामदगी की संभावना भी शामिल है, की ज़रूरत है—वहाँ ऊपर बताया गया तरीका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता; और हम इस बात से सहमत हैं।

6. हम श्री लूथरा द्वारा प्रस्तुत एक पहलू पर भी ध्यान दे सकते हैं कि, जमानत पर विचार करने के लिए नोटिस जारी करते समय, विचारण न्यायालय को जाँच के दौरान अभियुक्त के आचरण को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से नहीं रोका जा सकता, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस पहलू पर भी हम अपनी सहमति देते हैं, और स्वाभाविक रूप से, जमानत याचिका पर अंततः जो विचार किया जाएगा, वह वैधानिक प्रावधानों द्वारा ही निर्देशित होगा।

अतः, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह वर्तमान प्रार्थना पत्र अंततः इस शर्त के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रार्थी आज से 30 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक उचित नियमित जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है; और यदि ऐसा प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो विचारण न्यायालय का



यह दायित्व होगा कि वह लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'सतेंद्र कुमार अंटिल' (उपरोक्त) मामले में प्रतिपादित विधि के पूर्णतः अनुरूप, उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे।

इसके अलावा, प्रार्थी को उचित चरण पर, कानून के अनुसार, अपने लिए उपलब्ध सभी कानूनी और तथ्यात्मक दलीलों को शामिल करते हुए, दोषमुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। यदि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय कानून के अनुसार, एक स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश द्वारा उसका निपटारा करेगा।

26 मार्च, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)